परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/5बी दिनांक 31.03.2000 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2017 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''2000 रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''4000/- रु.'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "4000 रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "8000/- रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/5सी] राज्यपाल के आदेश से,

> **डॉ. मनीषा अरोड़ा,** संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2017, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/5B dated 31.03.2000, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in column number 3 against serial number 1 of the table, for the existing expression "Rs. 2000", the expression "Rs. 4000/- " shall be substituted; and
- (ii) in column number 3 against serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 4000", the expression "Rs.8000/-" shall be substituted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/5C] By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government